

न्यायालय उप उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन (राज0)

क्रमांक / विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम 2024 / 04

दिनांक :- 25/01/2024

राजस्व वाद सं. 10 / 2024

GCMS No. 2024/ 17

उनवान प्रकरण :- भंवरलाल बनाम तहसीलदार

-: आदेश:-

वादी/प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती पत्र एवं पटवारी हल्का चारणवास व भूअ.नि. जिलिया की रिपोर्ट तथा नायब तहसीलदार चितावा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	मंगलपुरा	67	भंवराराम पुत्र भोमाराम हिस्सा 1/8 जाति जाट सा. देह खातेदार	भंवरलाल पुत्र भोमाराम हिस्सा 1/8 जाति जाट सा. देह खातेदार
2	सबलपुरा	273	भंवराराम पुत्र भोमाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. मंगलपुरा खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कुचामनसिटी	भंवरलाल पुत्र भोमाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. मंगलपुरा खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कुचामनसिटी

उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी ( डीडवाना-कुचामन )

दिनांक :- 25/01/2024

क्रमांक / कोर्ट / 2023 / 05-06

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. तहसीलदार कुचामनसिटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
2. वादी भंवरलाल पुत्र भोमाराम जाति जाट सा. देह खातेदार तह. कुचामन को सूचनार्थ



उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी ( डीडवाना-कुचामन )

